

Vol 4 Issue 9 June 2015

ISSN No : 2249-894X

*Monthly Multidisciplinary
Research Journal*

*Review Of
Research Journal*

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2249-894X

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Mabel Miao Center for China and Globalization, China
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Xiaohua Yang University of San Francisco, San Francisco	Ruth Wolf University Walla, Israel
Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Karina Xavier Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA	Jie Hao University of Sydney, Australia
Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	May Hongmei Gao Kennesaw State University, USA	Pei-Shan Kao Andrea University of Essex, United Kingdom
Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania	Marc Fetscherin Rollins College, USA	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Liu Chen Beijing Foreign Studies University, China	Ilie Pinte Spiru Haret University, Romania
Mahdi Moharrampour Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran	Nimita Khanna Director, Isara Institute of Management, New Delhi	Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai
Titus Pop PhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain
J. K. VIJAYAKUMAR King Abdullah University of Science & Technology, Saudi Arabia.	P. Malyadri Government Degree College, Tandur, A.P.	Jayashree Patil-Dake MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC), Kachiguda, Hyderabad
George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	S. D. Sindkhedkar PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]	Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.
REZA KAFIPOUR Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran	Anurag Misra DBS College, Kanpur	AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI, TN
Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur	C. D. Balaji Panimalar Engineering College, Chennai	V.MAHALAKSHMI Dean, Panimalar Engineering College
	Bhavana vivek patole PhD, Elphinstone college mumbai-32	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University
	Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust), Meerut (U.P.)	Kanwar Dinesh Singh Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org**

छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेश की स्थिति
एवं संभावनाएं तथा चुनौतियां



अशोक कुमार जायसवाल

संकाय सदस्य (पंचायतराज), ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर छत्तीसगढ़।

Short Profile :

Ashok Kumar Jaiswal is Faculty Member (Panchaytraj) Thakur pyarelal Panchayat & Rural Development Institute, Nimora , Chhattisgarh Raipur. He has completed M.A., M. Phil., Ph.D.

Co - Author Details :

अर्चना जायसवाल

व्याख्याता (भूगोल), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मांडर बस्ती, धरसिंवा, जिला – रायपुर छत्तीसगढ़।



सारांश

संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार राज्य स्थानीय संस्थाओं को उन शक्तियों को प्रदान करें जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की एक संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सकें। ये शक्तियां स्थानीय संस्थाओं को सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

अनुच्छेद 243G के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों को रेखांकित किया गया है, साथ ही साथ ऐसे प्रावधान कानून में दिये जाए जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पंचायतें अपने कार्यों जैसे आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियावन्वित करने एवं 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के प्रभावी

निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

Article Indexed in :

DOAJ Google Scholar DRJI
BASE EBSCO Open J-Gate

अनुच्छेद 243H राज्य के विधायिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पंचायतों को अनिवार्य तथा वैकल्पिक करों को वसूलने के लिए अधिकृत कर सकें। साथ ही साथ वह यह भी शक्ति प्रदान करता है कि पंचायतें राज्य की संचित निधियों से अनुदान प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद 243I स्पष्ट करती है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और उसके उपरांत प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, पंचायतों को धन आबंटन के बारे में सिफारिश करने, अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों के निर्धारण, जो पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है राज्यपाल को सिफारिश करें।

Key Word :-

Clause, Economic and Social Development, Social Justice, Finance Commission, Tax and Fees, Decentralised and Autonomibody.

भूमिका –

पंचायतों के स्तर पर सत्ता और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण आवश्यक ही नहीं प्रासंगिक भी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पंचायतों के स्तर पर वित्त का हस्तांतरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि वे अपने कार्यों और दायित्वों का निष्पादन एवं संचालन बेहतर तरीके से कर सकें। साथ ही साथ वे पंचायतों को सौंपे गये जैसे कार्यों के निष्पादन में तकनीकी एवं प्रशासकीय अधिकारियों को सहयोग कर सकें जो कि पंचायतों के अनुशासनात्मक दायरे के तहत आता है। अतः राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस कार्यपालिका और वित्त को प्रभावशाली पंचायती राज व्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। इसलिए पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों में गतिविधि मानचित्रण पर विशेष बल देता है। गतिविधि मानचित्रण के द्वारा पंचायतों के तीनों स्तरों पर उन्हें हस्तांतरित कार्यों के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाते हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को अनिवार्य और वैकल्पिक करों के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायत के तीनों स्तरों पर संग्रहित करों का वितरण पंचायतों द्वारा कथित करों की मात्रा और उसके स्वरूप पर निर्भर करेगा। संविधान पंचायतों को अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-दो अ, अनुसूची-तीन के अंतर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक करों और शुल्कों को संग्रहित करने के लिए अधिकृत करता है।

अध्ययन की आवश्यकता –

- ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को करारोपण की सही जानकारी प्रदान करने हेतु।
- पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के संबंध में सुझाव देने हेतु, ताकि पंचायते लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकें।
- ग्राम पंचायतों के राजस्व में वृद्धि के तरीके समझाने हेतु।

अध्ययन का उद्देश्य –

- पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले करों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- कर संग्रहण में पंचायतों की संभावनाओं की विवेचना करना।
- पंचायतों द्वारा अधिरोपित करों के संग्रहण में चुनौतियों की पहचान करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संग्रहित राजस्व के वर्तमान उपयोग का अध्ययन करना।
- कर संग्रहण हेतु पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण वृद्धि का पता लगाना।

Article Indexed in :

DOAJ Google Scholar DRJI
BASE EBSCO Open J-Gate

अध्ययन की परिकल्पना –

- पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करारोपण की प्रक्रियाओं का सही ज्ञान नहीं है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से करारोपण नहीं किया जा रहा है।
- पंचायतों के करारोपण में ग्राम सभा की भूमिका नगण्य है।
- करारोपण हेतु नियुक्त अधिकारियों की भूमिका नगण्य है।

अध्ययन क्षेत्र –

पंचायती राज व्यवस्था में करारोपण की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 4 सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित कर अविभाजित 18 जिलों में से 10 जिलों का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि से किया गया –

- ✦ दक्षिणी क्षेत्र से बस्तर एवं कांकेर
- ✦ मध्य छत्तीसगढ़ से रायपुर, दुर्ग, धमतरी एवं राजनांदगांव
- ✦ पूर्वी छत्तीसगढ़ से कोरबा एवं रायगढ़
- ✦ उत्तरी छत्तीसगढ़ से सरगुजा एवं जशपुर

- प्रत्येक चयनित जिले से दो विकासखण्ड का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि से किया गया। इस प्रकार कुल 10 जिले से 20 विकासखण्ड का चयन किया गया।
- प्रत्येक विकासखण्ड से दो ग्राम पंचायतों का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि से किया गया। इस प्रकार कुल 20 विकासखण्ड से 40 ग्राम पंचायत का चयन प्रस्तुत अध्ययन हेतु किया गया। चयनित ग्राम पंचायत में पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित किया गया।

आंकड़ों का संकलन –

पंचायती राज व्यवस्था में करारोपण की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया –

प्राथमिक आंकड़े – प्राथमिक आंकड़ों का संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया जिसमें पंचायत के तीनों स्तरों पर जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों से जानकारियों का संकलन किया गया (सारणी क्रमांक-1)।

सारणी क्रमांक-1
अध्ययन क्षेत्र : चयनित जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत

क्र.	क्षेत्र का नाम	जिला का नाम	चयनित जनपद पंचायत	अध्ययन हेतु चयनित ग्राम पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत का नाम
1	दक्षिणी छत्तीसगढ़	1. कांकेर	1. भानुप्रतापुर	2	1. संबलपुर
			2. कांकेर	2	2. लांझेवार
		2. बस्तर	3. जगदलपुर	2	3. गोंविदपुर
			4. बस्तर	2	4. माकड़ी
					5. परचनपाल
					6. नगरनार
2	3. रायपुर	5. धरसीवा	2	9. जरौदा	
		6. मैनपुर	2	10. बरौदा	
	4. दुर्ग	7. बालोद	2	11. अमलीपदर	
		8. गुण्डरदेही	2	12. गोहरापदर	
	5. धमतरी	9. नगरी	2	13. जुगसा	
				14. बघमरा	
		10. मगरलोड़	2	15. पैरी	
				16. कांदुल	
	6. राजनांदगांव	11. मानपुर	2	17. बेलर	
				18. बेलझर	
		12. जोंगरगांव	2	19. करेली छोटी	
				20. भण्डरी	
	3	7. कोरबा	13. पाली	2	21. अवंधी
			14. कटघोरा	2	22. रेगाखार
8. रायगढ़		15. सारंगढ़	2	23. अर्जुनी	
		16. धर्मजयगढ़	2	24. तुमडीबोड	
				25. हरदी बाजार	
				26. सनावल	
4	9. सरगुजा	17. लखनपुर	2	27. कोटरवाही	
		18. लुण्ड्रा	2	28. कोरची	
	10. जशपुर	19. जशपुर	2	29. बड़े बिजुरी	
				30. भेडकी	
				31. कोपरा	
				32. रहौद	
			2.0 कांसाबेल	2	33. सामरी
					34. लांजीवार
				35. कोटकी	
				36. रानीदाह	
				37. आरा	
				38. लोदाम	
				39. बटईकेला	
				40. कांसाबेल	

ग्राम पंचायत-

- ★ ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सरपंच एवं सचिवों का साक्षात्कार लिया गया।

- ✦ पंचायत द्वारा करारोपण की संभावनाओं को स्पष्ट करने एवं समुदाय के विचारों को समझने के लिए सहभागी आंकलन प्रविधियों द्वारा संसाधनों का आंकलन किया गया।
- ✦ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण/कायशाला के दौरान समूह चर्चा की गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

सारणी क्रमांक-2
ग्राम पंचायत स्तर पर निर्देशन ईकाई

क्र.	जिले का नाम	अध्ययन हेतु कुल ग्राम पंचायत	निर्देशन की इकाई अधिकारी/जनप्रतिनिधि		निर्देशन की इकाई ग्राम सभा के सदस्य		कुल निर्देशन इकाई
			सचिव	सरपंच	पुरुष	महिला	
1	कांकेर	04	04	04	15	20	43
2	बस्तर	04	04	04	20	18	46
3	रायपुर	04	04	04	14	21	43
4	दुर्ग	04	04	04	22	22	52
5	धमतरी	04	04	04	21	18	47
6	राजनांदगांव	04	04	04	18	18	44
7	कोरबा	04	04	04	19	12	39
8	रायगढ़	04	04	04	20	15	43
9	सरगुजा	04	04	04	18	17	43
10	जशपुर	04	04	04	21	20	49
	योग	40	40	40	188	181	449

2. जनपद स्तर –

पंचायती राज व्यवस्था में करारोपण की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर जनपद पंचायत के अध्यक्षों व जनपद सदस्यों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के दौरान साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया।

सारणी क्रमांक-3
जनपद पंचायत स्तर पर निर्देशन ईकाई

क्र.	जिले का नाम	अध्ययन हेतु कुल जनपद पंचायत	निर्देशन की इकाई अधिकारी/जनप्रतिनिधि		निर्देशन की इकाई जनपद पंचायत के सदस्य		कुल निर्देशन इकाई
			मुख्य कार्य.अधि.	अध्यक्ष	पुरुष	महिला	
1	कांकेर	02	02	02	03	02	09
2	बस्तर	02	02	02	04	03	11
3	रायपुर	02	02	02	03	04	11
4	दुर्ग	02	02	02	05	03	12
5	धमतरी	02	02	02	04	03	11
6	राजनांदगांव	02	02	02	02	03	09
7	कोरबा	02	02	02	05	03	12
8	रायगढ़	02	02	02	03	04	11
9	सरगुजा	02	02	02	04	05	13
10	जशपुर	02	02	02	02	02	08
	योग	20	20	20	35	32	107

3. जिला स्तर-

जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्षो/सदस्यों तथा जिला स्तर के अधिकारियों से प्रशिक्षण/कार्यशाला के दौरान विस्तृत चर्चा एवं साक्षात्कार लिया गया।

सारणी क्रमांक-4
जिला पंचायत स्तर पर निर्देशन इकाई

क्र.	जिले का नाम	जिला स्तर पर निर्देशन की इकाई अधिकारी / जनप्रतिनिधि			कुल निर्देशन इकाई
		मुख्य / अति. कार्य.अधि.	अध्यक्ष	सदस्य	
1	कांकेर	01	01	03	05
2	बस्तर	01	01	03	05
3	रायपुर	01	01	04	06
4	दुर्ग	01	01	03	05
5	धमतरी	01	01	02	04
6	राजनांदगांव	01	01	03	05
7	कोरबा	01	01	03	05
8	रायगढ़	01	01	04	06
9	सरगुजा	01	01	03	05
10	जशपुर	01	01	02	04
	योग	10	10	30	50

द्वितीयक आंकड़ों का संकलन –

द्वितीयक आंकड़ों का संकलन निम्नानुसार किया गया –

- ग्राम पंचायतों को विभिन्न वर्षों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय ।
- ग्राम पंचायतों को विभिन्न वर्षों में विभिन्न स्रोतों पर किया गया व्यय ।
- छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के खनिज मैनुअल ।

अध्ययन की विधि –

- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति से संबंधित आय एवं व्यय विवरण प्रतिवेदन, करारोपण की स्थिति, एवं अन्य दस्तावेजों का आंकलन, जिसके आधार पर साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया ।
- अध्ययन के विभिन्न पहलूओं को लेकर जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों / कर्मचारियों को ग्राम पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले करों और उनकी वसूली की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा कर अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप आंकड़ों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया ।
- अध्ययन क्षेत्र के चयन के लिए जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला / प्रशिक्षण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त

आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का सत्यापन किया गया तत्पश्चात् अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया गया।

आंकड़ों/तथ्यों को प्राप्त करने के लिए सहभागी शोध पद्धति के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक जानकारी का संकलन किया जिसके लिए साक्षात्कार अनुसूची ग्राम पंचायतों से जानकारी संकलन के लिए प्रपत्र का निर्माण, सामुदायिक धारणाओं को समझने के लिए पंचायत स्तर पर समूह चर्चा तथा संसाधनों की पहचान के लिए ग्रामीण सहभागी आंकलन प्रविधि का उपयोग किया गया। साथ ही साथ पंचायत में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्राप्त तथ्यों को भी अध्ययन में शामिल किया गया।


छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों में करारोपण की स्थिति :-

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों में करारोपण की स्थिति रायपुर 1197 में 35.64%, दुर्ग 994 में 33.21%, कोरबा 858 में 28.69%, रायगढ़ 702 में 33.78%, धमतरी 333 में 48.64%, राजनांदगाँव 692 में 13.64%, सरगुजा 1087 में 12.21% जशपुर 411 में 10.62%, कांकेर 386 में 11.32% तथा बस्तर 580 में 11.32% स्थानीय कर लगाये गये हैं जबकि करों से प्राप्त राशि कुल मांग के आधार पर रायपुर 22.64%, दुर्ग 18.09%, कोरबा 17.32%, रायगढ़ 24.03%, धमतरी 37.39%, राजनांदगाँव 12.21%, सरगुजा 8.04%, जशपुर 7.21%, कांकेर 8.10% तथा बस्तर 8.10% है (सारणी क्रमांक -05, चित्र -01)

सारणी क्रमांक -05 ग्राम पंचायत में करारोपण की स्थिति

क्र	जिले का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	जिले के ग्रामों में करारोपण की स्थिति (प्रतिशत में)	जिले के ग्रामों में करों से प्राप्त राशि कुल मांग के आधार पर (प्रतिशत में)
1.	रायपुर	1197	35.64%	20.64%
2.	दुर्ग	994	33.21%	18.09%
3.	कोरबा	858	28.69%	17.32%
4.	रायगढ़	702	33.78%	24.03%
5.	धमतरी	333	48.64%	37.39%
6.	राजनांदगाँव	692	13.64%	12.21%
7.	सरगुजा	1087	12.21%	08.04%
8.	जशपुर	411	10.62%	07.21%
9.	कांकेर	386	11.32%	08.10%
10	बस्तर	580	11.32%	08.10%

स्रोत : जिला, जनपद, एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त आंकड़े



चित्र -01

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के चयनित ग्राम पंचायतों में करारोपण की स्थिति धमतरी जिले के ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक अनिवार्य कर 87.7% तथा वैकल्पिक कर 43.23% तथा सेवा शुल्क 88.8% अधिरोपित एवं वसूल की जाती है। विभिन्न करों एवं उनकी वसूली का प्रतिशत निम्नानुसार है (सारणी क्रमांक -06)।


सारणी क्रमांक -06
चयनित ग्राम पंचायतों में कर वसूली की स्थिति

क्र.	जिले का नाम	करों का नाम							
		संपत्ति कर	प्रकाश कर	वृत्ति कर	नल जल शुल्क	बजार शुल्क	सफाई कर	सेवा शुल्क एवं मोबाइल टॉवर पर कर	निजी स्रोतों से आय
1	रायपुर	7%	3%	4%	26%	53%	5%	35%	12%
2	दुर्ग	5%	7%	8%	19%	48%	3%	27%	10%
3	कोरबा	6%	5%	8%	31%	42%	3%	18%	5%
4	रायगढ़	4%	5%	2%	12%	71%	3%	21%	3%
5	धमतरी	11%	7%	2%	19%	55%	3%	50%	12%
6	राजनांदगाँव	3%	2%	1%	5%	85%	2%	46%	1%
7	सरगुजा	2%	3%	1%	5%	87%	1%	8%	1%
8	जशपुर	2%	2%	1%	5%	87%	1%	12%	2%
9	कांकेर	1%	2%	1%	3%	90%	1%	65%	45%
10	बस्तर	1%	1%	1%	2%	91%	1%	11%	3%

स्रोत : जिला, जनपद, एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त आंकड़े

संपत्तिकर अधिरोपण की स्थिति :-


संपत्तिकर अधिरोपण की स्थिति में धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां कुल सम्पत्ति कर का 11% सम्पत्ति कर, की वसूली की जाती है । सबसे कम सम्पत्ति कर कांकर एवं बस्तर (1प्रतिशत) जिले में वसूल किया जाता है । अन्य जिलों में इसका प्रतिशत रायपुर 07% ,दुर्ग 05%, कोरबा 06%, रायगढ़ 04%, राजनांदगांव 03% एवं सरगुजा तथा जशपुर 02% है (चित्र -02) ।



चित्र -02

प्रकाशकर अधिरोपण की स्थिति :-


प्रकाश कर अधिरोपण की स्थिति में धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां कुल प्रकाश कर का 17%, की वसूली की जाती है । सबसे कम प्रकाश कर की वसूली बस्तर में 1 प्रतिशत है । अन्य जिलों में प्रकाश कर की वसूली रायपुर 03% ,दुर्ग 07%, कोरबा 05%, रायगढ़ 05%, राजनांदगांव 02% एवं सरगुजा 03% तथा जशपुर 02% है (चित्र -03) ।



चित्र -03

नल-जल कर अधिरोपण की स्थिति :-


नल जल कर अधिरोपण की स्थिति में रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां कुल नल जल कर का 26%, की वसूली की जाती है । सबसे कम नल जल की वसूली बस्तर में 2 प्रतिशत है । अन्य जिलों में नल जल की वसूली दुर्ग 19 %, कोरबा 31 %, रायगढ़ 12%, धमतरी 19%, राजनांदगांव 05% एवं सरगुजा 05%, जशपुर 05% एवं कांकेर 03% है(चित्र-04) ।



चित्र -04

बाजार कर अधिरोपण की स्थिति :-


बाजार कर अधिरोपण की स्थिति में कांकेर जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां कुल बाजार कर का 90%, की वसूली की जाती है । सबसे कम बाजार कर की वसूली दुर्ग में 48 प्रतिशत है । अन्य जिलों में बाजार कर की वसूली सरगुजा एवं जशपुर 87%, राजनांदगाँव 85%, रायपुर में 53 %, कोरबा 42 %, रायगढ़ 71%, एवं धमतरी 55%, है (चित्र -05) ।



चित्र -05

सफाई कर अधिरोपण की स्थिति :-


सफाई कर अधिरोपण की स्थिति में रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां सफाई कर का 5% की वसूली की जाती है । सबसे कम सफाई कर की वसूली सरगुजा, जशपुर, कांकेर, बस्तर में 01 प्रतिशत है । अन्य जिलों में सफाई कर की वसूली दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, एवं धमतरी में 03%, है । तथा राजनांदगाँव में इसका प्रतिशत 02 है (चित्र -06) ।



चित्र -06

निजी स्रोत से प्राप्त आय की स्थिति :-


निजी स्रोत से प्राप्त करों के अधिरोपण की स्थिति में रायपुर एवं धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों का प्रथम स्थान है, यहां निजी स्रोत से प्राप्त करों का 12%, वसूली की जाती है। सबसे कम निजी स्रोत से प्राप्त करों की वसूली राजनांदगाँव एवं सरगुजा में 01% है। अन्य जिलों में निजी स्रोत से प्राप्त करों की वसूली दुर्ग 10%, कोरबा, 05% ,रायगढ़ 03% कांकेर 05% एवं जशपुर 02%, है (चित्र -07)।



चित्र -07

सेवा शुल्क एवं मोबाईल टावर से प्राप्त आय की स्थिति :-

सेवा शुल्क एवं मोबाईल टावर से प्राप्त आय की स्थिति में कांकेर एवं धमतरी जिले का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान है यहां कुल अधिरोपित कर का 65 एवं 50 प्रतिशत है, जबकि सरगुजा जिले में सबसे कम कर अधिरोपित किया गया यहाँ कुल अधिरोपित कर का 8 प्रतिशत है। अन्य जिलों में यह कर राजनांदगाँव 46 प्रतिशत, रायपुर में 35 प्रतिशत, कोरबा 18 प्रतिशत, रायगढ़ 21 प्रतिशत, जशपुर में 12 प्रतिशत एवं बस्तर में 11 प्रतिशत है (चित्र -11)।



चित्र -08


चयनित ग्राम पंचायतों में प्रतिव्यक्ति करारोपण से प्राप्त आय (वार्षिक) :-

छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों में करारोपण से प्राप्त प्रतिव्यक्ति आय जिला धमतरी में सबसे अधिक 68.10% रुपये वार्षिक है जबकि बस्तर में सबसे कम 25.01 रुपये वार्षिक है। अन्य जिलों के ग्राम पंचायतों में प्रति व्यक्ति करारोपण से प्राप्त आय कोरबा में 58.45 रुपये, रायपुर में 54.30 रुपये, दुर्ग में 51.10 रुपये, रायगढ़ में 43.30 रुपये, राजनांदगाँव में 37.20 रुपये, सरगुजा में 30.10 रुपये, जशपुर में 28.10 रुपये, कांकेर में 26.10 रुपये है (सारणी क्र. -7 एव चित्र -9)।

**सारणी क्रमांक -07
ग्राम पंचायतों में प्रतिव्यक्ति करारोपण से प्राप्त आय (वार्षिक)**

क्र.	जिले का नाम	करारोपण से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
1	रायपुर	54.30
2	दुर्ग	51.10
3	कोरबा	58.45
4	रायगढ़	43.30
5	धमतरी	68.10
6	राजनांदगाँव	37.20
7	सरगुजा	30.10
8	जशपुर	28.10
9	कांकेर	26.10
10	बस्तर	25.10

स्रोत : जिला, जनपद, एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त आंकड़े



चित्र -09

करारोपण में चुनौतियां

- ✦ करारोपण संबंधी अधिनियम में दिये गये प्रावधान एवं उसके क्रियान्वयन के विषय में ग्राम सभा के सदस्यों में जानकारी का अभाव।
- ✦ स्थानीय स्तर पर नये करों की पहचान न हो पाना।
- ✦ करारोपण की अवधारणा एवं ग्रामसभा का सशक्तिकरण।
- ✦ जनप्रतिनिधियों, ग्रामसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों में तालमेल की कमी।
- ✦ करों से प्राप्त राजस्व का प्रभावपूर्ण एवं योजनाबद्ध तरीके से उपयोग।
- ✦ विवादों के निराकरण में ग्रामसभा द्वारा पहल का अभाव।

BIBLIOGRAPHY

1. Aiyar, Mani Shankar, 1995 Rural Properties': What do the poor Want? Sunday, Vol. 22(21), 16-18.
2. Aiyar, Mani Shankar, 2002 "Panchayati Raj: The Way Forward" Economic and Political Weekly, August 3:3293-3297.
3. Aiyar Mani Shankar, 2012 "Inclusive Growth through Inclusive Governance", <http://www.inclusion.in>, February 3.
4. Alagh, Y.K. 2005 Panchayati Raj and Planning in India: Participatory Institutions and Rural Roads, Mimeo.
5. Alok, V.N. 2006 "Local Government Organization and Finance: Rural India", in Anwar Shah (ed.), Local Governance in Developing Countries, Washington, The World Bank.
6. Alok, V.N. 2008 "The Role of State Finance Commission in Fiscal Decentralization in India", in M A Oommen (ed.), Fiscal Decentralization to Local Governments in India, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.
7. Behar, Amitabh 2001 "Gram Swaraj : Experiment in Direct Democracy", Economic and Political Weekly, 36(10): 823-26.
8. Behar, Amitabh and Yogesh Kumar 2002 "Decentralization in Madhya Pradesh, India: From Panchayati Raj to Gram Swaraj", (1995 to 2001), Working Paper, 170, London, Overseas Development Institute.
9. Government of India. 2001 Report of the Task Force on Panchayati Raj Institutions, New Delhi, Planning Commission.

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Books Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ Directory Of Research Journal Indexing
- ★ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org